

**झारखण्ड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**

-: अधिसूचना :-

राँची

दिनांक :- 12-02-18

अधि.सं.-01/स्था.(पदस्थापन)-11-09/2017...../श्री अशोक राम, कार्यपालक अभियंता (असैनिक), (आई.डी.-3845), सम्प्रति प्रभारी मुख्य अभियंता, (चालू प्रभार), रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची, अपने कार्यों के अतिरिक्त मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना, राँची के प्रभार में रहेंगे।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(मनोज कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :-

497

राँची, दिनांक :-

12-02-18

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 25 (पच्चीस) प्रतियाँ कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।

(मनोज कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :-

497

राँची, दिनांक :-

12-02-18

प्रतिलिपि:-महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड राँची/माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड राँची/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड राँची/प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना, आदित्यपुर जमशेदपुर/ अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/निदेशक, भूगर्भ जल निदेशालय, राँची/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/सभी मुख्य अभियंता/प्रबन्ध निदेशक, झालको, राँची/संबंधित पदाधिकारी/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ब., 7यो., एवं 8ए., 8बी. एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित पदाधिकारी आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंतर्गत विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

(मनोज कुमार)

सरकार के अवर सचिव।